# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

| प्रकरण संख्या | रजि० नं0 2025 / | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12 / 14 / 2025 | 2025 / 63 | 30.01.2025 | 26.03.2025 |

1–दलीप पुत्र बख्तावर जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांचौद तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनाक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 474 / 2024 धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुऐ आराजी खसरा न0 426 रकबा 1.00 है0 किस्म गैरमुमकिन नदी से बैदखल किये जाने / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–

01. श्री जर्नादन शर्मा —वकील अपीलान्ट

## –:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 474 / 2024 धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत आराजी खसरा न0 426 रकबा 8.60 है0 किस्म गैरमुमकिन नदी में से 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम सांचोद पर सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्व फसल कुर्क कर नीलाम करने / पैलन्टी की राशि वसूल कर मौके से बैदखली / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 426 रकबा 8.60 है0 मे से रकबा 1.00 है0 किस्म गैरमुमकिन नदी वाके ग्राम साचोद तहसील मुण्डावर पर मिन अपीलान्ट का कोई मौके पर कब्जा नही है, पटवारी हल्का के द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किये अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर तैयार की गयी है, तहत अदालत द्वारा कोई पैमाईश नही करायी गयी है, न ही कोई निरीक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलान्ट को जवाब नोटिस दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है, विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय प्राकतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है। क्योकि पूर्व में अपीलान्ट को न तो बेदखल किया गया है, न ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य थी। जैसे पूर्व में बेदखल करने की निर्णय की सत्य प्रतिलिपि आदि लेकिन तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह का सिविल कारावास की सजा व अर्थदण्ड 200 रूपये से दण्डित किया गया है, जो निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की अनेको नजीरे इस बाबत है, कि जब तक पत्रावली पर पहले बेदखल करने के आदेश / निर्णय की सत्य प्रतिलिपि न हो तब तक उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही माना जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपने कथन की पुष्टि हेतु माननीय न्यायालय की नजीर आर.बी.जे (14) 2007 पेज संख्या 644–646 की प्रति पेश की गयी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 426 रकबा 8.60 है0 मे से रकबा 1.00 है0 किस्म गैरमुमकिन नदी वाके ग्राम साचोद तहसील मुण्डावर पर मिन अपीलान्ट का कोई मौके पर कब्जा नही है, पटवारी हल्का के द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किये अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर तैयार की गयी है, तहत अदालत द्वारा कोई पैमाईश नही करायी गयी है, न ही कोई निरीक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलान्ट को जवाब नोटिस दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है, विधिक प्रकिया एंव प्रावधानो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन अपील में अपीलान्ट द्वारा एक शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया गया है, प्रकरण में वर्णित आराजी पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नही है, अतिक्रमण/कब्जा छोड दिया गया है, जिसकी तहत अदालत से मौके की रिपोर्ट तलब की जावे। जिस पर तहत अदालत से रिपोर्ट तलब की गयी। जिसके आधार पर मौके पर अतिक्रमी का कब्जा नही होना अवगत कराया गया है। तहत अदालत की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बासनी द्वारा दिनाक 05.01.2024 को अतिक्रमी दलीप पुत्र बख्तावर जाति गुर्जर निवासी सांचोद तहसील मुण्डावर के विरूद्व इस आश्य की पेश की गयी है, कि आराजी खसरा न0 426 रकबा 8.60 है0 मे से रकबा 1.00 है0 पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस दिनाक 23.01.2024 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। नोटिस की तामील होकर शामिल मिसल है, किन्तु अतिक्रमी बावजूद सूचना के नियत तिथि को तहत अदालत के समक्ष उपस्थित ही नही हुआ। दिनाक 24.01.2024 को अतिक्रमी अनुपस्थित होने पर पटवारी हल्का बासनी को वास्ते बयान हेतु तलब किया गया। पटवारी हल्का बासनी ने अपने बयान में अंकित किया गया है, कि दलीप पुत्र बख्तावर जाति गूर्जर आराजी खसरा न0 426 रकबा 1.00 है0 भूमि में पुनः अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमी को पूर्व में भी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी थी, जिसकी पी–14 की नकल तथा रिपोर्ट बैदखली बयान के साथ संलग्न की गयी है। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। प्रकरण में वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियो की क्षेणी में आती है, ऐसी सरकारी भूमियो पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती सिद्व होने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर अतिक्रमी के विरूद्व विधिवत निर्णय पारित कर मौके से बेदखली फसल कुर्क कर नीलाम करने/पैलन्टी की राशि वसूल कर / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया तहत अदालत द्वारा पारित पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट केवल सजा की हद तक ही निरस्त किया जाता है। शेष निर्णय दिनाक 24.01.2024 यथावत रहेगा निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)